कोटपुतली में नशे के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन और पुलिस सख्त

कोटपुतली(निसं)। जिले में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण एवं युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एन-कोर्ड) समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध शराब कारोबार तथा नशे के विरुद्ध संचालित अभियानों की समीक्षा की गई। पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध बिक्री के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी ली गई। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने निर्देश दिए कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई करें। उन्होंने

कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एन-कोर्ड) समिति की बैठक हुई।

ड्रग इंस्पेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनधिकृत चिकित्सकों, झोलाछाप चिकित्सकों एवं नियम विरुद्ध संचालित औषधि विक्रेताओं के विरुद्ध नियमित जांच एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण कर प्रतिबंधित एवं नशीले घटकों से युक्त दवाओं की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण सहित नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने आबकारी विभाग को अवैध शराब एवं हथकड़ शराब के निर्माण तथा बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों

■ **अवैध मादक पदार्थों, नशीली दवाओं और हथकड़ शराब के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी सख्त कार्रवाई**

के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने, नियमित निगरानी बढ़ाने एवं प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शराब ठेकों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के समन्वय से औचक निरीक्षण एवं कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं एवं विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही नियम विरुद्ध संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने अवैध शराब बिक्री, हथकड़ शराब निर्माण, हुक्का बार, ई-सिगरेट, वीड, ड्रग्स, गांजा एवं नशीली गोलियों के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए निगरानी एवं विभागीय समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में संलिप्त मेडिकल स्टोर्स, दुकानदारों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए जिले में नशे के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरुका सहित पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

खाद्य विभाग टीम ने 3 दुकानों से सैंपल लिए

खैरथल(निसं)। रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की और से खैरथल तिजारा जिले में विशेष अभियान चलाकर मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद गेट के दिशा-निर्देश में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ततारपुर चौराहा एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन निरीक्षण एवं जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता व्यवस्था की जांच की गई। टीम ने मैसर्स बालाजी स्वीट्स एंड फास्ट फूड से कलाकंद, मैसर्स चौधरी मिष्ठान भंडार, ततारपुर चौराहा से मावा बर्फ़ी तथा मैसर्स अंबिका मिष्ठान भंडार, छतरपुर गांव से डोडा बर्फ़ी के नमूने लिए गए हैं।

टोंक में सर्पदंश से किसान की मौत

टोंक(निसं)। दतवास थाना क्षेत्र के टोरडी गांव में खेत पर कृषि कार्य करते समय सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया, वहीं गांव में भी शोक की लहर छा गई। परिजनों के अनुसार खेत पर कृषि कार्य करते समय मृतक बनवारी पुत्र प्रहलाद कीर कसे कार्य के दौरान सांप ने डस लिया। जिससे सांप के काटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तथा परिजन उसे तत्काल टोंक जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया।

इसके बाद परिजन उसे जयपुर के दुर्लभजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बनवारी को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि सांप के डसने के कारण ही उसकी मौत हुई है। मामले में मृतक के परिजनों ने दतवास थाने में रिपोर्ट देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

रक्षा बंधन पर्व पर जमकर खरीददारी हुई, पूर्व संध्या पर बाजारों में भीड़

निवाई(निसं)। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षा बंधन के त्यौहार को लेकर गुरूवार को बाजारों में महिलाएं व युवतियों की काफी भीड़ रही। राखियों की दुकानों पर जमकर राखियों की बिक्री हुई। वहीं मिठाईयों की दुकानों व फलों के ठेलों पर भी महिलाएं व युवतियों की भीड़ दिखाई दी। रक्षा बंधन के त्यौहार पर बसों में महिलाओं व पुरूषों की काफी भीड़ रही। कपडों की दुकानों पर लोग अपनी बहन-बेटियों को रक्षा बन्धन पर साडियां भेंट करने के लिए खरीददारी करते हुए दिखाई दिए। ग्रामीण क्षेत्र से भी खरीददारी के लिए लोगों की भीड़ रही। जिससे बडा बाजार, चौहट्टी बाजार, जमात, सब्जी मंडी, बिलाला मार्केट, गणगौरी बाजार, पटेल रोड, टोंक रोड व झिलाय रोड सहित सभी बाजारों में रौनक रही। त्यौहार को लेकर बसों की छतों पर भी यात्रियों को जोखिम भरी यात्रा करते

निवाई में राखी के त्यौंहार को लेकर राखियां खरीदते हुए युवतियां।

हुए देखा गया। रेलवे स्टेशन पर भी दिन भर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ लगी रही। ट्रैन के अन्दर भीड़ होने से यात्रियों को भारी समस्या के बीच सफर करना पड़ा। शुक्रवार को रक्षा बंधन का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रक्षा बंधन के त्यौहार पर बहिनें अपने भाईयों की लम्बी उम्र की कामना के लिए भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी। रक्षा बंधन के त्यौहार को लेकर दिनभर रक्षा बंधन की बधाईयां एवं शुभकामनाएं देने का दौर जारी रहा। गुरूवार की रात्रि से ही मोबाइलों पर मैसेज, व्हाटस एप, फेसबुक एवं फोन पर एक दूसरे को रक्षा बंधन की बधाई व शुभकामनाएं दी।

नारायण नाथ महाराज के वार्षिक उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब

कोटपूतली, (निसं)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोरधनपुरा गुरूवार को पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। अवसर था ग्राम चौकी गोरधनपुरा स्थित श्री उदय नाथ मंदिर और श्री नारायण नाथ महाराज मंदिर के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम, 38 वें भव्य सत्संग और विशाल भंडारे का। श्रद्धा और बेहद उत्साह के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में ना केवल स्थानीय ग्रामीणों बल्कि दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महोत्सव की शुरुआत बुधवार रात 09:15 बजे से आयोजित एक भव्य सत्संग के साथ हुई। सत्संग में हरियाणवी कलाकार अंकुर शर्मा व प्रियंका चौधरी एण्ड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय और धार्मिक प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों के भजनों पर पूरी रात श्रद्धालु झूमते रहे और संपूर्ण माहौल नारायण नाथ महाराज और उदय नाथ महाराज के जयकारों से गूंज उठा। वार्षिक महोत्सव के तहत गुरुवार दोपहर 12:15 बजे से विशाल भंडारे का शुभारंभ हुआ। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने बेहद

विशाल भण्डारें में हजारों श्रद्धालूओं ने पाई पंगत प्रसादी, भजनों पर झूमते रहे श्रद्धालु।

अनुशासित और सौहार्दपूर्ण माहौल में पंगत में बैठकर महाप्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि राजगढ़ के पूर्व विधायक सूरजभान धानका ने उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि गोवर्धनपुरा की यह पावन धरा आज साक्षात देवलोक के समान प्रतीत हो रही है।

नारायण नाथ महाराज और उदय नाथ महाराज जैसी महान दिव्य आत्माओं के आशीर्वाद से ही समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज के इस भौतिकवादी युग में ऐसे धार्मिक आयोजन मानव समाज को नई दिशा दिखाते हैं और हमें अपनी सनातन संस्कृति व जड़ों से जोड़े रखते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की यह अनुशासित पंगत और भक्ति का यह अनुपम सैलाब इस बात का गवाह है कि धर्म और सेवा भाव से बड़ा दुनिया में कोई संकल्प नहीं है। धानका समाज और समस्त ग्रामीण भाईचारे ने जिस भव्यता और आत्मीयता से इस उत्सव को संजोया है, वह संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा पुंज है। संतों के चरणों में बैठकर पाई गई यह प्रसादी हमारे जीवन के विकारों को दूर कर आपसी सौहार्द को मजबूत करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर सिंह यादव ने गर्व और हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज गोवर्धनपुरा ग्राम पंचायत का एक-एक जर्रा धन्य हो गया है, जहाँ आस्था का ऐसा ऐतिहासिक और अद्भूत नजारा देखने को मिल रहा है।

टोंक में कचरे को लेकर विवाद में बुजुर्ग की मौत, कई जनें घायल

टोंक (निसं)। बरोनी थाना क्षेत्र के पीतावास गांव में बुधवार की देर शाम को कचरा डालने के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या हो गई। परिजनो को समझाईष के बाद पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

■ **विवाद में दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई, दोनों पक्ष के 5-6 लोग गंभीर घायल हुए**

बरौनी थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि बुधवार को पंचायत प्रशासन की ओर से बरोनी थाना क्षेत्र के पीतावास गांव में सफाई अभियान चलाया गया था।

सफाई के बाद निकला कचरा एक पक्ष के घर के बाहर जमा रह गया, जिसे लेकर घर के मालिक हीरा लाल गुर्जर (उम्र 62 साल) ने नाराजगी जताई तो पड़ोस में रहने वाले दूसरे पक्ष पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाया। देखते ही देखते विवाद बढ़

टोंक के बरोनी थाना क्षेत्र में एक जनें की मौत के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार किया।

गया और दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई, दोनों पक्ष के 5-6 लोग गंभीर घायल हो गए। जिन्हे ग्रामीणो ने सआदत अस्पताल टोंक में भर्ती कराया जहां गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग हीरालाल गुर्जर में दम तोड़ दिया। इसके अलावा मृतक का बेटा रामकुंवर और भतीजा महावीर भी घायल हो गये ।

वहीं पड़ोस में रहने वाले दूसरे पक्ष से राजाराम (उम्र 50 साल), पाना देवी और नीरू भी घायल हो गये थे। सभी घायलों को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया है। बाद में गुरूवार को मृतक के परिजन जिला अस्पताल टोंक के घ्पोस्टमार्टम कक्ष के जमा हो गये, जिन्हे बरोनी थानाधिकारी व टीम ने बातचीत कर उनके पहली मांग जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो। जिसमें कार्यवाही करते थाना पुलिस ने घटना में लिप्त 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी अनुसार नियमानुसार इस मामले आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ठ G अपील, निर्देश व पुनर्विलोकन, संख्यांक 6
न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश-6, जयपुर मेट्रो द्वितीय जिला जयपुर, (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी का नामः सीमा ढाका
अपील की सुनवाई के लिए नियम दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 का नियम 14)
नियमित सिविल अपील/9/2021 मेसर्स कृष्णा कम्युनिकेशन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य
NEXT DATE: 10-09-2026
के न्यायालय की तारीख को संख्यांक वाद में पारित डिक्री की अपील
प्रेषिती-विप्लव गढ़वाल
मकान नं. 9, फैट नं. 102, पत्रकार कॉलोनी, पीएस मुहाना, जयपुर
IInd पता- 08 स्वामी केशवानंद नगर किसान कॉलोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में की डिक्री की अपील मेसर्स कृष्णा कम्युनिकेशन द्वारा उपस्थापित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता. 10.09.2026 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जाएगी।
यह आज ता. 25.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-06, जयपुर महानगर द्वितीय

परिशिष्ठ G अपील, निर्देश व पुनर्विलोकन, संख्यांक 6
न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश-6, जयपुर मेट्रो द्वितीय जिला जयपुर, (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी का नामः सीमा ढाका
अपील की सुनवाई के लिए नियम दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 का नियम 14)
विविध सिविल अपील/156/2026
आलोक खंडेलवाल बनाम गोपाल खंडेलवाल वगै.
NEXT DATE: 31-08-2026
के न्यायालय की तारीख को संख्यांक वाद में पारित डिक्री की अपील
प्रेषिती-
(1) गोपाल खंडेलवाल पुत्र स्व. बद्रीनारायण 628, लक्ष्मी भवन, बालाजी का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर, RAJASTHAN
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में की डिक्री की अपील आलोक खंडेलवाल द्वारा उपस्थापित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा ता. 31.08.2026 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जाएगी। :
यह आज ता. 27.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-06, जयपुर महानगर द्वितीय

समक्ष न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम- 03, जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
CIS-772/28
प्रार्थना पत्र संख्याः CS-444/2025
रोहित बनाम जयपुर नगर निगम व अन्य
प्रतिनिधित्व वाद
(नोटिस अन्तर्गत आदेश-1 नियम-8 सीपीसी)
वादीगण ने भवन संख्या 1504, डागा हाउस, सौथली वालों का रास्ता, चौकडी विश्वेश्वर जी की, चौडा रास्ता, जयपुर (राज.) के संदर्भ में प्रतिनिधित्व वाद प्रस्तुत किया है, जिस कारण सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वाद में पक्षकार बनना चाहता है तो वह पेशी 30.09.26 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार के रूप में संयोजित हो सकते है। भविष्य में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आदेश आज दिनांक 18-08-26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
समक्ष न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 03, जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
मोहर अदालत

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

समक्ष न्यायालय अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
CIS No.-C.S. 105/2026
प्रार्थना पत्र संख्या (40/2026 सिविल वाद सं.)
हरीराम शर्मा व अन्य बनाम राजेश लडानिया व अन्य
प्रतिनिधित्व वाद
(नोटिस अन्तर्गत आदेश-1 नियम-8 सीपीसी)
वादीगण ने **भवन संख्या 716, 717, 718 जाट के कुए का रास्ता, चौकडी पुरानी बस्ती, जयपुर (राज.)** के संदर्भ में प्रतिनिधित्व वाद प्रस्तुत किया है, जिस कारण सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वाद में पक्षकार बनना चाहता है तो वह पेशी 29/08/2026 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार के रूप में संयोजित हो सकते है। भविष्य में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आदेश आज दिनांक 24/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
समक्ष न्यायालय अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय- अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर
रवि कॉल बनाम कुसुम कॉल व अन्य
वाद बाबत - दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या - 13 सन् 2026
बनाम कुसुम कॉल पत्नी श्री विजय कॉल निवासी 55-बी, लक्ष्मण कॉलोनी, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान ने आपके विरूद्ध..... के लिये वाद पंजीयत किया है आपका इस न्यायालय में दिनांक 01 माह 09 सन् 2026 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों कों उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद दिनांक 17 माह 08 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर न्यायालय
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम

समक्ष न्यायालय अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
CIS No.-C.S. 180/2026
वाद संख्या 31/2026
हरीराम शर्मा व अन्य बनाम कुन्दन लाल पठानी व अन्य
प्रतिनिधित्व वाद
(नोटिस अन्तर्गत आदेश-1 नियम-8 सीपीसी)
वादीगण ने **भवन संख्या 2101, विजय भवन, के.के.हाउस, चाकसू का चौक, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राज.)** के संदर्भ में प्रतिनिधित्व वाद प्रस्तुत किया है, जिस कारण सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वाद में पक्षकार बनना चाहता है तो वह पेशी 29/08/2026 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार के रूप में संयोजित हो सकते है। भविष्य में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आदेश आज दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
समक्ष न्यायालय अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय
उर्मिला कंवर वगै. विरूद्ध हर खास व आम
वाद बाबत घोषणा
वाद सं० 237/26
बनाम हर खास व आम ने आपके विरुद्ध घोषणा के लिये वाद पंजीयत किया है।
आपका इस न्यायालय में 29.9.2026 को दिन में. 10.00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखित्व सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कहने के शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 25 माह 08 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा लगाकर दिया गया है।
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय

आम सूचना सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे अभिभाष्य श्री के. आर. मीणा पुत्र श्री जी.एल. मीणा, निवासी-केसर विहार गोनेर रोड़ जयपुर राजस्थान की पुत्री सोनाक्षी करोल मीणा जो कि मेरे अभिभाष्य के कहने एवं सुनने में नही है, उसका आचरण परिवार के अनुकूल नही है तथा मेरे अभिभाष्य के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल कर रही है। इस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्तियों से उसे तत्काल प्रभाव से बेदखल कर सभी रिश्ता नाता समाप्त कर दिया है। भविष्य में मेरे अभिभाष्य की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति में उसका कोई हक-हिस्सा नही रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति उसके साथ किसी प्रकार का वित्तीय संव्यवहार या कोई संबंध इत्यादि रखता है, तो वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। सूचित रहें।
जयपुर (विजय शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-27/8/2026 मो.-9782127876

कार्यालय उपायुक्त, वैशाली नगर जोन नगर निगम, जयपुर
(तारागनर-डी खिरणी फाटक, होटवाडा जयपुर)
क्रमांक:एफ-3) वै. न. जोन / ज.न.नि./2026/556 दिनांक:27/8/26
सार्वजनिक आपत्ति सूचना भूखण्ड संख्या 69, डॉक्टर्स कॉलोनी, अजमेर रोड जयपुर (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति) द्वारा श्री काना राम कुल्हारी पुत्र श्री जोधारामके पक्ष मे क्षेत्रफल 283.50 वर्गगज़ भूमि का पट्टा विलेख क्रमांक 1234 दिनांक 01.11.2002 को जारी किया गया था। रजिस्टर्ड उपहार पत्र दस्तावेजो के आधार पर आवेदक श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा क्षेत्रफल 283.50 वर्गगज़ का नाम हस्तानान्तरण चाहा है। श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा के नाम हस्तानान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, वैशाली नगर जोन) मे प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त वैशाली नगर जोन नगर निगम जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:3485 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:27/08/26
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 85/89 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री पंकज मेहता पुत्र श्री एल.एल. मेहता को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 4367 दिनांक 07.12.1995 को जारी किया गया। श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पुखराज जैन के पक्ष मे उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 08.07.2002 के द्वारा किया गया। श्री राकेश कुमार जैन के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 23.03.2006 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री राकेश कुमार जैन द्वारा श्री बाबू लाल सैनी पुत्र श्री चौथमल सैनी को दिनांक 24.03.2006 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री बाबू लाल सैनी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 29.05.2006 के द्वारा श्री नेमीचन्द सैन पुत्र श्री किशनलाल सैन को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री नेमीचंद सैन की मृत्यु दिनांक 28.08.2024 को हो जाने के कारण पंजीकृत हस्तयान पत्र के आधार पर इनकी पत्नी श्रीमती शोभा सैन पत्नी स्व. श्री नेमी चन्द सैन द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तानान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तानान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती शोभा सैन पत्नी स्व. श्री नेमी चन्द सैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 2606 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 29.07.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 184/115 (LIG) का आवंटन श्री रमेश चन्द्र सैन पुत्र श्री गोपाल लाल सैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4690 दिनांक 30.11.2004 को जारी किया गया था। श्री रमेश चन्द्र सैन द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार मित्तल पुत्र श्री सुनील कुमार मित्तल को दिनांक 18.12.2023 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री चन्द्रेश कुमार मित्तल द्वारा श्री रमेश चन्द्र सैन के पक्ष मे पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 24.01.2014 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री चन्द्रेश कुमार मित्तल द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्रीमती गायत्री कुर्मी पत्नी श्री सुरेश कुमार कुर्मी को दिनांक 21.02.2014 विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया गया। क्रेती श्रीमती गायत्री कुर्मी पत्नी श्री सुरेश कुमार कुर्मी द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती गायत्री कुर्मी पत्नी श्री सुरेश कुमार कु